पटना में दिनांक–06 फरवरी, 2026 शुक्रवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ऊर्जा विभाग

1. "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" के विस्तारीकरण के अन्तर्गत जुलाई, 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली प्रति माह खपत तक शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान करने के फलस्वरूप विद्युत शुल्क मद में उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की गयी राशि 349.20 करोड़ (तीन सौ उन्चास करोड़ बीस लाख) रूपये वाणिज्य कर विभाग, बिहार को भुगतान करने हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

2. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 (वर्ष 2011, 2014, 2016, 2020 एवं 2023 में यथा संशोधित) के नियम 5 में संशोधन एवं 5घ के रूप में नया प्रावधान जोड़े जाने के फलस्वरूप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2026 को लागू करने के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

3. सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2026 को स्वीकृत एवं लागू करने के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

4. बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक 2026 (प्रारूप विधेयक) की स्वीकृति के संबंध में।

4. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

5. तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण, 2025–26 को बिहार विधान मंडल के समक्ष एवं तत्संबंधी बिहार विनियोग विधेयक, 2026 को बिहार विधान सभा के समक्ष उपस्थापित करने की स्वीकृति के संबंध में।

5. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

6. तिरहुत नहर प्रमंडल–1, बेतिया अंतर्गत पूर्वी गंडक नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 3539.79 लाख (पैंतीस करोड़ उनचालीस लाख उनासी हजार रूपये) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

6. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

7. बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना का शेष कार्य (प्रक्रियाधीन) जिसकी प्राक्कलित राशि ₹3269.14890/– लाख (रूपये बत्तीस करोड़ उनहत्तर लाख चौदह हजार आठ सौ नब्बे) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

7. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

8. संविधान के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन माननीय राज्यपाल की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के अवधि के दौरान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यपद्धति पर) के लिए "निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल" प्रतिवेदन को बिहार विधान मंडल के चालू सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में।

8. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

9. समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर प्रखंड–सह–अंचल कार्यलय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास कार्य के निमित प्रदत्त मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 12,15,00,000/–(बारह करोड़ पन्द्रह लाख) रूपये में 80.68 प्रतिशत वृद्धि के साथ द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की कुल राशि 21,95,22,951/–(इक्कीस करोड़ पंचानबे लाख बाईस हजार नौ सौ इक्यावन) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

9. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. राज्य के नगर निकायों के सशक्त स्थाई समिति के गठन को अधिक पारदर्शी एवं नगर निकाय बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में।

10. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. भागलपुर जिलान्तर्गत अंचल–जगदीशपुर, मौजा–नगरपालिका, वार्ड सं०–05, खाता सं०–1082, खेसरा सं०– 1036(ज) भागलपुर समाहरणालय परिसर की कुल प्रस्तावित रकबा–9.8842 डी०, किस्म–सहन भूमि पर इन्टेलिजेंस ब्यूरो कार्यालय भवन निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर सलामी, पूँजीकृत मूल्य, निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क सहित कुल राशि–1,76,13,645/–(एक करोड़ छिहत्तर लाख तेरह हजार छः सौ पैंतालीस) रूपये के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

11. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

12. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–8 में संशोधन किये जाने एवं तत्संबंधी "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026" के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में।

12. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

13. बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–5 में संशोधन किये जाने एवं तत्संबंधी "बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026" के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में।

13. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

14. राज्य योजनान्तर्गत राज्य के कुल 8941 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं हेतु सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर अधिष्ठापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रति सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर ₹45,000/–(पैंतालीस हजार) रूपये (वर्ष 2023 में मूल दर 32000/–रूपये के अनुसार 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि, 5 वर्ष तक के लिए वार्षिक मरम्मति शुल्क तथा वस्तु एवं सेवा कर सहित) की दर से व्यय की जाने वाली (अन्य व्यय सहित) कुल राशि ₹40,25,00,000/–(चालीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

14. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

15. राज्य के सरकारी मध्य/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2023–24 से दिनांक–31.01.2025 तक संचालित इनफोर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) लैब्स (बिल्ड–ऑन–ऑपरेट मॉडल (BOO Model)) के संचालन में हुए व्यय एवं देयता की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना योजना अन्तर्गत सामग्री एवं आपूर्ति मद में उपबंधित राशि से कुल ₹1,24,89,83,703/–(एक अरब चौबीस करोड़ नवासी लाख तेरासी हजार सात सौ तीन) रूपये मात्र का भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

15. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के अनुपालन के आलोक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा–39 के तहत लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं की सहायता के लिए सहायक व्यक्ति के मनोनयन प्रति वाद रू० 9000/–(पारिश्रमिक एवं यात्रा व्यय सहित) की दर से करने एवं इसके निमित राज्य में अनुमानित वार्षिक 6000 वादों के लिए 6000x9000=540.00 लाख (पाँच करोड़ चालीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

16. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

17. सक्षम ऑगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के पोषण अभियान के तहत राज्य के 1,15,009 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आँगनवाड़ी सेविकाओं के लिए 1,15,009 स्मार्ट फोन तथा पदाधिकारियों/कर्मी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए 4,839 स्मार्ट फोन अर्थात कुल 1,19,848 स्मार्ट फोन ₹10,000/–(दस हजार रूपये) +जी०एस०टी० प्रति फोन की दर से ब्रींग योर ओन डिवाईस (BYOD) नीति के तहत क्रय करने एवं इसके निमित कुल ₹141,42,06,400/– (एक सौ एकतालीस करोड़ बयालीस लाख छः हजार चार सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

17. **स्वीकृत।**